"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 267]   रायपुर, सोमवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2010—आश्विन 12, शक 1932

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2010

अधिसूचना

क्रमांक 24/चार/वि.स.उप-चु./2010/1386.—निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 67 के अनुसरण में विधान सभा उप चुनाव 2010 के लिए 05-भटगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित प्रत्याशी संबंधी जानकारी सर्वसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित की जाती है.

सुनील कुजूर,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्रारुप 21 घ

(नियम 64 देखिए)

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा.

---

* उप चुनाव 2010, 05-भटगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ (राज्य) की विधान सभा के लिये निर्वाचन.

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961, के नियम, 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि— श्रीमती, रजनी रविशंकर त्रिपाठी (नाम) ब्रम्हपारा, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) (पता)

[1] [जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए/की गई है.]

उस सदन में,

श्री/श्रीमती ....×............................ के पदत्याग के कारण*

श्री/श्रीमती रविशंकर त्रिपाठी की मृत्यु के कारण*

श्री/श्रीमती ....×............................ का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिए जाने के कारण*

श्री रविशंकर त्रिपाठी का स्थान रिक्त हो जाने के कारण* हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई हैं.

स्थान : अम्बिकापुर

तारीख : 04-10-2010

हस्ताक्षर,

रिटर्निंग आफिसर

उप चुनाव 05-भटगांव

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र.

---

* जो समुचित न हो उस काट दीजिए.

CONDUCT OF ELECTIONS RULES, 1961
(Statutory Rules and Order)

FORM 21 D
(See rule 64)
(For use in Election to fill a vacancy when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

* Election to the Legislative Assembly of Chhattisgarh (State) from Bye-Election, 2010, 05-Bhatgaon Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951 read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Rajni Ravishankar Tripathi (Name)
Bramhapara, Ambikapur, Distt. Surguja (C. G.) (Address) [2][sponsored by
Bhartiya Janata Party
(name of the recognised/registered political party)] has been duly elected to fill the vacancy in that House by the

*resignation of ....x..

*death of .... Ravi Shankar Tripathi ....

* election of ....x.. having been declared void.

having become

*seat of 05-Bhatgaon Assembly Constituency ....

having been Declared vacant.

Place : Ambikapur
Date : 04-10-2010

Signature
Returning Officer
By Election 05-Bhatgaon
Legislative Assembly.

*Score out, if inappropriate

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.